



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2018/चैत्र 6, 1940

No. 189]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2018/CHAITRA 6, 1940

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

सा.का.नि. 289 (अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 में, नियम 12 में उप-नियम 4 के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4क) अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (6) के अधीन खनन पट्टाधारक के मामले में जहां ऐसे पट्टे की अवसान की अवधि की तारीख 31 मार्च, 2020 है वहां ऐसे खनन पट्टाधारक 1 अप्रैल, 2019 के पहले खनन पट्टा के अधीन संपूर्ण खनिजीकृत क्षेत्र पर सामान्य गवेषण (जी2) करेगा और इस उद्देश्य के लिए, -

(क) खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 5 के खंड (क) के अधीन यथा अपेक्षित खनन पट्टा के अधीन संपूर्ण खनिजीकृत क्षेत्र पर सामान्य गवेषण पूरा करने के लिए खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने के 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार और भारतीय खान ब्यूरो को एक उपांतरित खनन योजना इस तरीके से प्रस्तुत करेगा जिसमें गवेषण की योजना 1 अप्रैल, 2019 से पहले पूरी हो जाए और ऐसी योजना प्रस्तुत किए जाने के 30 दिन के भीतर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा, उपांतरण सहित अथवा बिना उपांतरण के, अनुमोदित की जाएगी;

(ख) खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 5 के खंड (ख) के अधीन यथा अपेक्षित गवेषण कार्य के पूर्ण हो जाने के एक माह के भीतर भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार और भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा;

परंतु यह, कि उपांतरित खनन योजना में विवृत खनन के लिए प्रस्तावित गवेषण की गहराई 300 मीटर तक अथवा अयस्क पिंड के बंद होने तक, दोनों में जो भी पहले हो, और भूमिगत खानों के मामले में गवेषण की गहराई ऐसी योजना के अनुमोदन किए जाने के समय प्रत्येक मामले के आधार पर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निश्चित की जाएगी, जो क्षेत्र के भूवैज्ञानिक संरचना पर निर्भर करेगा।

परंतु, यह और कि राज्य सरकार स्वयं अथवा उसके द्वारा नामित किसी एजेंसी के माध्यम से अनुमोदित उपांतरण योजना का आवधिक तकनीकी लेखा परीक्षा आयोजित करेगी और यदि पट्टाधारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहता है, राज्य सरकार पट्टाधारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, अनुपालना के प्रवर्तन हेतु ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो वह उचित समझे।”

[फा.सं. 1/1/2018-खान-6]

निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 169(अ.) तारीख 27 फरवरी, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

G.S.R. 289(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, in rule 12, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(4A) In case of mining leases covered under sub-section (6) of section 8A of the Act where the date of expiry of the period of such lease is on 31st March, 2020, the holders of such mining lease shall carry out General Exploration (G2) over the entire mineralised area under the mining lease before the 1st day of April, 2019 and for this purpose,—

- (a) submit to State Government and the Indian Bureau of Mines, within forty five days of issue of this notification, a modified mining plan in accordance with the provisions of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 for completion of General Exploration (G2) over the entire mineralised area under the mining lease as required under clause (a) of rule 5 of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, in such manner that the plan for exploration is completed before 1st April, 2019, and such plan shall be approved by the Indian Bureau of Mines within thirty days of its submission, with or without any modification;
- (b) prepare and submit to the State Government and the Indian Bureau of Mines, a Geological Study Report as required under clause (b) of rule 5 of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, within one month after completion of exploration work:

Provided that the depth of exploration to be proposed in the modified mining plan for open cast mining shall be up to 300 meters or up to discontinuance of ore body, whichever is earlier, and in case of underground mines, the depth of exploration shall be decided by the Indian Bureau of Mines on case to case basis at the time of approval of such plan, depending upon the geological set up of the area:

Provided further that the State government shall conduct periodical technical audit of approved modified plan either by itself or through an agency nominated by it and in case lease holder fails to perform his duties as so specified, the State Government may, after giving the lease holder an opportunity of being heard, take such action for enforcing compliance, as it deems fit.”.

[F. No. 1/1/2018-M.VI]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 169(E), dated the 27th February, 2017.

IndiaCode